

## फर्द अहकाम


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तुलसीराम  
किस्म मुकदमा : वाद

विपक्षी : श्री मन्नालाल उर्फ पन्नालाल वगैरह

प्रकरण संख्या : 43/2021 सन् 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	<p>दिनांक : 29.04.2026</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से बहस हेतु नियत है। न्यायालय द्वारा रुक रुककर प्रार्थी को तीन बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है तथा आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण का मूल वाद भी अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुका है। जिससे इस प्रकरण में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 8 जा. दी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

  
(अवुला साईकृष्ण)  
आई.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
गिर्वा उदयपुर